संख्या-387/2020/2207/22-2-2019-17(430)/2009

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोहन पुत्र श्री गुलाब, निवासी जनपद-ललितपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24537/प्रोबे0अनु0(2)-206/सला0समिति/(एम-02-07-19 दिनांक 08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोहन पुत्र श्री गुलाब, ग्राम-बिरधा, थाना-तालबेहट, हाल थाना-पूराकलां, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। मुकदमेबाजी को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26.08.1986 को दोपहर लगभग 12:00 बजे बल्लम, कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की एवं 02 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 323/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 31.05.1988 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.1988 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.01.2019 तक 30 वर्ष 11 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 41 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 07.01.2019 तक बन्दी की आयु लगभग 57 वर्ष 05 माह है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, तनाव की स्थिति होने, दोनों पक्षों के परिवारों में घटना कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक की आख्या में मृतक व घायल परिजनो में काफी आक्रोश होने तथा रिहा होने पर पुन: किसी संगीन घटना के घटित होने की पूर्ण संभावना के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 16.05.2018 के अनुसार उक्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में अपनी कोई संस्तुति नहीं दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा बल्लम, कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या तथा 02 व्यक्तियों को घायल किया गया। बन्दी व प्रतिपक्षीगण के मध्य पुरानी रंजिश के कारण मृतक के बच्चे काफी आक्रोशित हैं, बंदी की रिहाई उपरान्त दोनों पक्षों के मध्य पुन: अप्रिय घटना घटित होने की पूर्ण संभावना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा मा0 पीठासीन अधिकारी द्वारा संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सोहन पुत्र गुलाब को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सोहन (बन्दी संख्या-6615) पुत्र श्री गुलाब, निवासी जनपद-ललितपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-387/2020/2207(1)/22-2-2019 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in